परिवेश

स्वच्छ पर्यावरण की खोज में

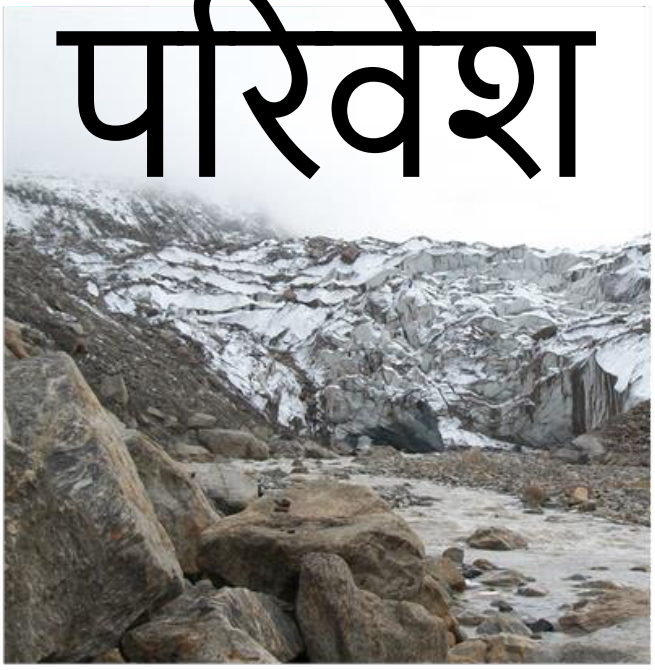

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
'परिवेश भवन'
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

अंक- प्रथम

मिशन लाइफ पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए एक वैश्विक अभियान है।

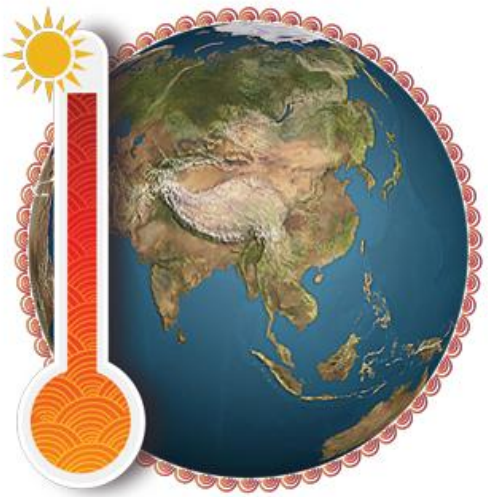

परिवेश

(केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पत्रिका)

मुख्य संरक्षक

श्री तन्मय कुमार

अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

संरक्षक

श्री भरत कुमार शर्मा

सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

संपादक मण्डल

श्री संघ मित्र, प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)

श्री अवधेश तिवारी, सहायक निदेशक (राजभाषा)

परामर्श मण्डल

श्रीमती गरिमा शर्मा, वैज्ञानिक 'ई'

श्रीमती योगिता खरायत, वैज्ञानिक 'ग'

टंकण सहयोग

श्रीमती पारुल राठी, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

श्री हरिश्चंद्र मौर्य, आशुलिपिक ग्रेड-I

नोटः- पत्रिका में प्रकाशित लेखों और रचनाओं में अभिव्यक्त विचार रचनाकारों के अपने हैं।

तन्मय कुमार, भा.प्र.से.
अध्यक्ष

Tanmay Kumar, I. A. S.
Chairman

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA

संदेश

भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक कार्यालय की ओर से एक हिन्दी-पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसके प्रकाशन से कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में हिन्दी-लेखन को बढ़ावा मिलता है और उनके बीच से अनेक रचनात्मक प्रतिभाओं को उभर कर सामने आने का अवसर प्राप्त होता है। इसके दृष्टिगत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से ई-पत्रिका 'परिवेश' का प्रकाशन एक स्वागत-योग्य कदम है।

इस अंक के लेखकों और लेखिकाओं ने, न केवल प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अपनी विचारतरंगो को प्रस्तुत किया है, बल्कि राजभाषा और सरकारी कामकाज के प्रति अपनी उत्तरदायित्वपूर्ण भावना से ओत-प्रोत होकर कुछ भावपूर्ण कवितायेँ भी लिखी हैं। मेरे लिए यह राजभाषा हिन्दी के प्रति उनके बढ़ते रुझान और उसके प्रति उनकी सकारात्मक प्रतिबद्धता का परिचायक है।

मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय बोर्ड और इसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों के पदाधिकारी अधिक से अधिक संख्या में आगे आयें और अपने कार्यालय की इस महत्वपूर्ण पत्रिका के लिए अपने लेख, कवितायें, संस्मरण आदि भेजें, ताकि पाठकों को आगामी अंक में और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध हो सके।

मैं आशा करता हूँ कि 'परिवेश' पत्रिका का यह प्रथम अंक न केवल सरकारी कामकाज को हिन्दी में निष्पादित करने में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित करेगा, बल्कि इसमें प्रकाशित की गई उपयोगी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वच्छ वातावरण के प्रति व्यावहारिक एवं उचित दृष्टिकोण अपनाने में भी मदद मिलेगी।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएँ।

(तन्मय कुमार)

'परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110 032, भारत
'Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110 032, India
Tel. +91-11-22307233, Tele Fax : +91-11-22304948, e-mail: ccb.cpcb@nic.in

भरत कुमार शर्मा
सदस्य सचिव
Bharat Kumar Sharma
Member Secretary

सत्यमेव जयते

LiFE Lifestyle for Environment

G20 भारत 2023 INDIA

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से गृह पत्रिका '**परिवेश**' का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमे बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के हिन्दी भाषा में स्वलिखित लेखों कविताओं, संस्मरण आदि का संकलन है।

सभी लेखकों और लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भिन्न-भिन्न विषयों के प्रति पाठकों के ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास किया है, जो सरकारी कामकाज में उनके द्वारा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक कदम है।

मुझे इस पत्रिका के प्रकाशन की सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी बात यह महसूस होती है कि इसके माध्यम से हमारा कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी में भी देश की सेवा करने का गौरव हासिल कर रहा है।

अत: मुझे पूरा विश्वास है कि पाठकगण इससे लाभान्वित होंगे और भविष्य में पत्रिका के आने वाले अंकों के लिए लेखक/लेखिका अधिक सारगर्भित सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।

मैं इस पत्रिका के लिए लेख, कविता, संस्मरण आदि प्रदान करने वाले सभी लेखकों/लेखिकाओं और इसे मूर्तरूप प्रदान करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके इस महती प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस पत्रिका का अनवरत प्रकाशन जारी रहेगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

भरत कुमार शर्मा

CPCB

'परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110 032, भारत
'Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110 032, India
Tel. +91-11-22303655, 22307078, e-mail: bksharma.cpcb@nic.in mscb.cpcb@nic.in
Website: www.cpcb.nic.in

संपादकीय

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राजभाषा हिन्दी में प्रकाशित ई-पत्रिका "परिवेश" का यह प्रथम अंक विविधतापूर्ण सामग्री और नई छटा के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इसे प्रकाशित करते हुए हमें अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह की पत्रिका का प्रकाशन करने से किसी भी कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों को लेख/कविता/संस्मरण आदि प्रस्तुत करके अपनी प्रतिभा को प्रकट करने एवं विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे पाठक न केवल लाभान्वित होते हैं, बल्कि उनमें भी हिन्दी भाषा के प्रति आकर्षण, सहजता एवं संवेदनशीलता का भाव उत्पन्न होता है।

इस अंक में समाहित सामग्री का अवलोकन करते समय हमने महसूस किया कि दिल्ली स्थित मुख्यालय के अलावा हमारे अधीनस्थ कार्यालयों में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। अनेक कार्मिको की लेखन-शैली बहुत प्रभावपूर्ण है, इसलिए अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्मिक आगे आयें और केन्द्रीय बोर्ड की इस छमाही पत्रिका के लिए राजभाषा हिन्दी में लेख लिखकर हमें भेजे, ताकि उनके माध्यम से पाठकों को और अधिक रोचक, ज्ञानवर्धक व उच्चस्तरीय सामग्री उपलब्ध हो सके।

इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो कार्मिक संभवत: कार्य की अधिकता का कारण अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, वे भी कुछ समय निकाल कर पत्रिका में अपना अमूल्य योगदान दें।

आशा है कि मौजूदा अंक में प्रकाशित की जा रही सभी रचनाएँ पाठकों को पसंद आएगी। तथापि संपादक मण्डल को आपके सुझाव सदैव सादर आमंत्रित है। आपसे अनुरोध है कि आप इसे और अधिक आकर्षक और ज्ञानवर्धक बनाने केलिए, हमें अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें।

संपादक-गण

विषय- सूची

1. **सूखी ही बहने को मजबूर नदियाँ** 9-12
   - डॉ. अनूप चतुर्वेदी, वैज्ञानिक 'ख'
2. **हिंदी का संघर्ष** 13-17
   - प्रशांत कुमार शर्मा, सहायक
3. **कर्मचारी हो आप, एक दफ्तर के** 18-19
   - डॉ रश्मि मित्तल, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक
4. **विधि कानून की व्याख्या** 20-22
   - अवधेश तिवारी, सहायक निदेशक (राजभाषा)
5. **हिन्द की बेटी: हिंदी** 23-24
   - डॉ. पूर्णिमा शर्मा, शोध सहयोगी-3
6. **पगडंडियां** 25-26
   - कमल कुमार, वैज्ञानिक ई
7. **रोगाणुरोधी प्रतिरोध और पर्यावरण** 27-32
   - राज नारायण पंकज, वैज्ञानिक ई
8. **कंक्रीट के जंगल में** 33-34
   - डॉ. सी.के. दीक्षित
9. **प्रकृति के अंचल में** 35-40
   - हरिश्चन्द्र मौर्य, आशुलिपिक ग्रेड-I
10. **कहानी दादा जी की** 41-43
    - कुंदन कुमार, अनुभाग अधिकारी
11. **आया हूँ मैं इस दुनिया में** 44
    - रामेश्वर, प्रशासनिक अधिकारी
12. **ओजोन की व्याकुलता** 45
    - डॉ अनुपमा बी.एस, वैज्ञानिक घ

लेखक/लेखिका परिचय 46-47

जो सम्मान और अपनापन हिंदी बोलने में आता है वह अंग्रेजी में दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता है।

सूखी ही बहने को मजबूर नदियाँ

डॉ. अनूप चतुर्वेदी,

वैज्ञानिक 'ख'

दुनिया में ज्यादातर नदियाँ अपने तटवर्ती क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी रही हैं। यह कटु सत्य है कि सभ्यताओं का विकास नदियों के विलोपन का कारण भी बन रहा है। यह किसी से छुपा नहीं है लेकिन विकास की अंधी दौड़ में आज नदियों का अस्तित्व खतरे में है। अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न का कारण नदी से मिलने वाली रेत व जलराशि है।

बीसवीं सदी के पहले कालखण्ड तक भारत की अधिकांश नदियाँ बारहमासी थीं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को बर्फ के पिघलने से अतिरिक्त पानी मिलता था। पानी की आपूर्ति बनी रहती थी अतः उनके सूखने की गति अपेक्षाकृत कम थी। नदी के कछार के प्रतिकूल भूगोल तथा भू-जल के कम रिचार्ज या विपरीत कुदरती परिस्थितियों के कारण उस कालखण्ड में भी भारतीय प्रायद्वीप की कुछ छोटी-छोटी नदियाँ हीं सूखती थीं। इन सबके बावजूद भारतीय नदियों का सूखना सामान्य घटना नहीं थी।

यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले 50-60 सालों से भारत की सभी नदियों खासकर भारतीय प्रायद्वीप की नदियों के प्रवाह में काफी कमी आ रही है। हिमालयीन नदियों को छोड़कर भारतीय प्रायद्वीप या जंगलों तथा झरनों से निकलने वाली बहुत सारी नदियाँ लगभग मौसमी बनकर रह गई हैं। हिमालयीन नदियों सहित भारतीय प्रायद्वीप की नदियों के प्रवाह में कमी/सूखने के लिए अलग-अलग कारण हो सकते हैं। उन कारणों को प्राकृतिक कारण और मुख्य मानवीय हस्तक्षेप वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है।

मुख्य प्राकृतिक कारण

भू-जल स्तर की मौसमी घट-बढ़ से सभी परिचित हैं। सभी जानते हैं कि हर साल वर्षाजल की कुछ मात्रा धरती में रिसकर एक्वीफरों में भू-जल का संचय करती है, उसे भू-जल का रिचार्ज कहते हैं। यह

भले ही आसमान से होता है पर होता तो पूरी नदी घाटी के लिए है।

विदित है कि भू-जल के रिचार्ज के कारण भू-जल का स्तर सामान्यतः अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर लेता है व नदियों के बहाव में मुख्य सहायक होता है। विदित है कि एक्वीफरों में संचित पानी स्थिर नहीं होता, वह ऊँचे स्थान से नीचे स्थान की ओर प्रवाहित होता रहता है। इसलिए जैसे ही बरसात खत्म होती है, वैसे ही एक्वीफर को पानी की आपूर्ति बन्द हो जाती है, एक्वीफर में जल संचय होना रुक जाता है और निचले इलाकों की ओर संचित जल के बहने के कारण भू-जल स्तर घटने लगता है। इस कारण सूखे दिन आते ही भू-जल स्तर कम होने लगता है।

अन्य प्राकृतिक कारण मिट्टी का कटाव भी है। विदित है कि मिट्टी का कटाव प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। कैचमेंट के वानस्पतिक आवरण में कमी होने से मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाता है और मिट्टी की परतों की मोटाई घट जाती है। फलस्वरूप पानी रिचार्ज करने की उनकी भू-जल संचय क्षमता भी घट जाती है। इस कारण भी नदी का प्रवाह कम हो रहा है व नदियों के सूखने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

मानवीय हस्तक्षेप

नदियों के सूखने का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कारण नदी कछार में भू-जल का अनियंत्रित दोहन है। उसके प्रभाव से नदी कछार के भू-जल स्तर में गिरावट आती है तथा भू-जल स्तर कम होते रहने से भी नदियाँ सूखी ही बहने को मजबूर होती हैं। देश की अनेक नदियों से विभिन्न उपयोगों के लिए पानी पम्प कर लिया जाता है। कई बार नदियों से नहरें निकालकर बसावटों की पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई की जाती है। अधिक संख्या में नहरों से पानी निकालने के कारण भी नदी के प्रवाह में कमी आ जाती है और नदियां सूखने लगती हैं। एक अन्य कारण यह भी है- 'नदी मार्ग पर बाँधों का बनना'। उल्लेखनीय है कि बाँधों के बनने के कारण नदी का मूल प्रवाह न केवल अवरुद्ध होता है वरन् नदी का निचला मार्ग भी घट जाता है। यदि घटते प्रवाह में भू-जल दोहन का कु-प्रभाव जुड़ जाता है, तो प्रवाह और भी कम हो जाता है। उसके असर से कभी-कभी नदियाँ सूख भी जाती हैं और सूखी ही बहने को मजबूर होती हैं। अन्य कारणों में छोटी

नदियों पर बड़ी संख्या में स्टॉपडेमों का बनना भी है। कई बार भण्डारण क्षमता के अधिक होने तथा संचित पानी को उपयोग में लिए जाने के कारण सारा प्रवाह उनमें रुक जाता है और नतीज़तन नदी सूख जाती है।

नदियों के सूखने का दूसरा प्राकृतिक कारण ग्लोबल वार्मिंग है जिसके कारण बारिश की मात्रा, वितरण तथा वर्षा दिवसों में बदलाव हो रहा है। औसत वर्षा दिवस कम हो रहे हैं तथा बरसात की मात्रा और अनियमितता बढ़ रही है। इस कारण भू-जल की प्राकृतिक बहाली के लिए कम समय मिल पा रहा है। कम समय मिलने के कारण अनेक इलाकों में भू-जल का प्राकृतिक भराव घट रहा है। उसकी पर्याप्त बहाली न होने के कारण नदी के प्राकृतिक बहाव में भी कमी आ रही है। प्राकृतिक बहाव के कम होने के कारण प्रभावित इलाकों में गर्मी का मौसम आते-आते अनेक छोटी-छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और सूखी ही बहने को मजबूर होती हैं।

आधुनिक युग में प्रवाह में कमी के कारण नदी के पानी की विषाक्तता बढ़ रही है। इसके दो मुख्य कारण हैं, पहला लगातार कम होता मानसूनी प्रवाह और दूसरा अनुपचारित जल का नदी तंत्र में प्रवाह। रासायनिक खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक व अधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग भी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण है। इन कारणों से नदी और कछार का क्षेत्र लगातार प्रदूषित होता रहता है तथा धीरे-धीरे यूट्रोफिक स्थिति बन जाती है और नदी तंत्र पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

खनिज विभाग और बालू माफिया मिलकर नदियों का बालू लूट रहे हैं। भारी-भरकम पोकलैंन मशीनें नदी का सीना चीरकर बालू निकाल रही हैं। मिट्टी तक बालू खनन करने से पानी का ठहराव कम होता जा रहा है, जिससे जलस्तर नीचे जा रहा है और नदी सूखी ही बह रही है। हालत यह है कि जो नदी पूरे शहर को बिना किसी दिक्कत के पानी पिला रही थी वह खुद आज पानी के लिए मोहताज़ है। आज उसी के पानी में जीवन पाने वाली मछलियों व अन्य जीव-जन्तुओं का जीवन खतरे में है। दिन-रात बालू खनन से नदी की धारा सूख रही है। कई स्थानों पर नदी का पानी रोक लेने से यहां जलापूर्ति पर खासा असर पड़ा है।

नदी को अकाल मौत से बचाने के लिए सामाजिक संगठन, किसान, पत्रकार आदि सक्रिय होते नज़र आ रहे हैं। नदी में अंधा-धुंध बालू खनन बन्द होना चाहिए अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब सरस्वती नदी की तरह अन्य नदियां भी धरती से लुप्त हो जाएंगी और हम आने वाली पीढ़ियों की प्यास तक नहीं बुझा पाएंगे। नदियाँ किसी भी सभ्यता की जीवन-रेखा होती हैं अगर जीवन-रेखा ही नहीं होगी, तो सभ्यता के अस्तित्व पर भी प्रश्नचिह्न लगेगा और नदियाँ भी सूखी ही बहने को मजबूर रहेंगी।

***

हिंदी का संघर्ष

प्रशांत कुमार शर्मा,
सहायक

किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए स्वयं की भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस राष्ट्र की अपनी भाषा नहीं होती, वह मूक माना जाता है। यह मानसिक गुलामी और सांस्कृतिक अपदूषण का कारण बन सकता है। आजादी के बाद भारत में भी इसकी राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। यह विडम्बना है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति पूर्व ब्रिटिश शासन के समय हिंदी का उतना पतन नहीं हुआ, जितना पिछले सात दशकों से होता आया है। ब्रिटिश शासन के समय सामान्य जन-मानस उनकी शिक्षा नीति को अपने देश व संस्कृति के विरूद्ध मानते थे। वे जानते थे कि भारत में यदि हिंदी की उपेक्षा करके अंग्रेजी को महत्व दिया गया, तो भारतीय बाद में भले ही राजनैतिक व आर्थिक रूप से अंग्रेजों की दासता से मुक्त हो जाएं परन्तु वे मानसिक रूप से सदा के लिए गुलाम बने रहेंगे।

जब मैकाले ने भारत में पूर्णत: ब्रिटिश तथा नैतिकता-रहित नई शिक्षा नीति घोषित की थी, तब उस समय कई देशभक्तों, बुद्धिजीवियों एवं गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि मैकाले की शिक्षा नीति का प्रयोजन भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देकर विद्वान या महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा साक्षर दुभाषिया पैदा करना है, जो स्वयं शासित रहकर अंग्रेजों को शासक बनने में मदद पहुँचा सके, जिससे अंग्रेज भारत पर लंबी अवधि तक शासन करते रहें और सोने की इस विशाल चिड़िया के अंग-प्रत्यंग काट-छाँटकर इंग्लैंड पहुँचाने में सहायता कर सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस समय अंग्रेजी का विरोध करते हुए यहाँ तक कहा कि "अंग्रेजी मोह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं है क्योंकि विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की पद्धति से देश व संस्कृति की अपार हानि होती है।" उन्होंने इस कथन से स्पष्ट किया कि अपनी राष्ट्रभाषा में शिक्षा न लेकर विदेशी भाषा को अपनाने से निश्चित रूप से शिक्षार्थी व शिक्षालय तथा शिक्षित वर्ग एवं सामान्य जनता के बीच दूरियाँ बढ़ेंगी, जो हमारे देश की एकता के लिए बाधक होंगी। अंग्रेजी के दुष्प्रभाव जानने के बावजूद भी, अंग्रेजी शिक्षा एवं

तुरन्त नौकरी पाने के लालच में, हमारे देश के कुछ अंग्रेजी भक्त भारतीयों एवं राजनीतिज्ञों ने इसे अपना सम्मान समझा और इसे सहज ही स्वीकार कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया। यहीं से हमारी गुलामी की नींव डाली गई, जिस पर अंग्रेजों ने अपना महल खड़ा कर लिया। यह मानसिक गुलामी आज भी भारतीयों को जकड़े हुए है।

चूँकि उस समय भारत गुलाम था, तो यह माना जा सकता है कि शायद अंग्रेजी को स्वीकारना भारतीयों की विवशता रही होगी। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस अंग्रेजी का उस समय काफी विरोध किया गया, स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद उसका पहले से अधिक विकास हुआ और हिंदी उपेक्षा की शिकार हुई। हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343(1) के तहत केवल औपचारिकता के लिए हिंदी को 'राजभाषा' का दर्जा तो दे दिया परन्तु वास्तविक अर्थों में राजभाषा पद की अधिष्ठात्री अंग्रेजी ही रह गई। हैरानी की बात तो तब हुई जब वर्ष 1965 में भारतीय राजनीतिज्ञों द्वारा संविधान संशोधन करके देश के सरकारी कार्यालयों में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के सह-प्रयोग की छूट दे दी गई।

हिंदी को तब तक अहिंदी भाषी प्रांतों की इच्छा पर छोड़ दिया गया, जब तक वे अंग्रेजी की जगह हिंदी को स्वीकार न कर लें। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी भाषी प्रांतों को छोड़कर किसी भी प्रांत ने हिंदी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि स्वार्थी राजनीतिज्ञों के उकसावे में आकर दक्षिण भारतीय प्रांत तो इसके विरूद्ध हो गए। हिंदी के प्रति यह अंधविरोध हमारे देश में आज भी समय-समय पर देखने को मिल जाता है, चाहे वह बेंगलुरु मेट्रो में हिंदी में निर्देश लिखने को लेकर हो अथवा महाराष्ट्र विधानसभा में एक विधायक द्वारा हिंदी में शपथ लेने पर उसे पीटा जाना आदि। तमिलनाडु जैसे राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों की तो राजनीति ही हिंदी विरोध के इर्द-गिर्द घूमती है। परंतु ऐसे लोगों को विदेशी भाषा अंग्रेजी के प्रयोग व उसके प्रचार-प्रसार से कोई परहेज नहीं। विरोध व हिंसा का शिकार केवल हिंदी को ही होना पड़ा है। अहिंदी भाषी ऐसे लोग विरोध के समय यह नहीं सोचते कि इससे वे केवल हिंदी के विकास का ही गला नहीं घोंट रहे हैं, अपितु अपनी प्रांतीय भाषाओं का विकास भी अवरूद्ध कर रहे हैं, क्योंकि भारत की अधिकांश भाषाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी या इसकी जननी संस्कृत से जुड़ी हुई है।

आज जब कभी भी हिंदी के प्रचार-प्रसार या अनिवार्यता की बात आती है, तो हमारे ही देश के कुछ अंग्रेजी पक्षधर लोगों का यह मत होता है कि आधुनिक भारत व इसके विकास के लिए अंग्रेजी का उपयोग आवश्यक है। परन्तु यह सच नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि उच्च स्थान तथा तकनीकी ज्ञान केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि उच्च व तकनीकी ज्ञान देशी भाषा के माध्यम से प्राप्त किया जाए, तो चिरस्थायी प्रभाव उत्पन्न होंगे, जबकि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिया गया ज्ञान अस्थायी होगा। उसमें स्वयं के विचार उतने समाहित नहीं होंगे जितने अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए- जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी आदि विश्व के कई ऐसे विकसित देश हैं जिन्होंने स्वयं का विकास अपनी राष्ट्रभाषा में ही किया है। उनकी शिक्षा प्रणाली किसी विदेशी भाषा पर नहीं, बल्कि अपनी भाषा पर ही आधारित है। अत: यह कहना पूरी तरह से निराधार है कि हिंदी माध्यम से विज्ञान व तकनीकी विकास नहीं हो सकता है। जबकि सच्चाई यह है कि अंग्रेजी भाषा को भारतीय जनमानस पर आरोपित कर देने से ही आजादी के 7 दशक बाद भी हमारी समुचित प्रगति नहीं हो पाई है। अगर हमने इस अवधि में अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त की होती, तो देश में इतने आर्यभट्ट और बसु होते कि उन्हें देखकर हमें स्वयं अचंभा होता।

वस्तुस्थिति यह है कि आज लोग हिंदी को अपनाने की कोशिश भी करें तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज अधिकांश सरकारी काम-काज अंग्रेजी में ही होते हैं और अधिकांश अवसर भी अंग्रेजी जानने वाले को ही प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि भारत में किसी की शिक्षा का आंकलन उसके अंग्रेजी के ज्ञान से किया जाता है। हिंदी में केवल वही काम होते हैं जिनके लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। यह हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए थी लेकिन वर्तमान में, हिंदी अपने ही देश में उपेक्षित है। न्यायपालिका हो या कार्यपालिका उनके अधिकांश काम अंग्रेजी में ही होते हैं जिसके कारण सामान्य जन असहज महसूस करते हैं और अपना काम करवाने के लिए उन्हें दलाल, वकील या अन्य व्यक्तियों की सहायता लेने के लिए विवश होना पड़ता है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

यद्यपि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई आयोगों व समितियों का गठन समय-समय पर होता रहा है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा आदि भी मनाए जाते हैं जिसमें हिंदी में सर्वाधिक

काम करने वाले कर्मचारी पुरस्कृत भी किए जाते हैं, जिसके फलस्वरुप भी हिंदी में कार्य करने में कार्मिकों की रुचि नहीं रहती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उनके पास हिंदी अपनाने की अनिवार्यता नहीं है। अंग्रेजी में विकल्प होने के कारण हिंदी जानने वाले भी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं। भाषा विकल्पहीनता की स्थिति में ही अर्जित की जा सकती है। इसके अलावा, भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही हमने जनभाषा हिंदी को निकृष्ट समझने की भूल की है, जिसके भविष्य में बेहद घातक परिणाम होंगे। साथ ही, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के क्षेत्रवादी राजनेताओं ने अपनी मातृभाषा के प्रति दिखावटी लगाव की राजनीति से भी हिंदी के प्रचार-प्रसार में बहुत नुकसान पहुंचाया है। यद्यपि सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व हिंदी के महत्व को देखते हुए ही अनेक हिंदीतर भाषी कवियों तथा समाजसेवियों जैसे- नामदेव, शंकरसेन, चैतन्य महाप्रभु, राजा राममोहन राय, बंकिमचंद्र चटर्जी, महर्षि अरविंद इत्यादि ने अपने मतों के प्रचार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर हिंदी को ही चुना। हिंदी की उपयोगिता को देखते हुए प्रसिद्ध लेखक भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने लिखा है-

मानहु अंग्रेजी भाषा पढ़ के हम होते प्रवीण।
पर निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन।।

ऐसा भी नहीं है कि हमें विदेशी भाषाएं सीखनी नहीं चाहिए। चूँकि हमें संसार के साथ रहना व चलना है, इसलिए विश्व की अन्य भाषाओं को भी सीखने की जरूरत हो सकती है परंतु अपनी राष्ट्रभाषा की उपेक्षा करके देश में कोई भी विदेशी भाषा स्वीकृत कर ली जाए यह ठीक नहीं है। हम अंग्रेजी पढ़कर उस भाषा के और उस साहित्य के विद्वान तो हो सकते हैं, पर शेक्सपीयर या मिल्टन कदापि नहीं हो सकते। कोई अंग्रेज हिंदी भाषा या साहित्य का विद्वान तो हो सकता है, पर सूर या तुलसी कभी नहीं हो सकता।

अत: शासन व भारतीयों को यह समझना ही होगा कि जो विकास अपनी राष्ट्रभाषा में हो सकता है, वह किसी विदेशी भाषा में नहीं। अत: आवश्यकता इस बात की है कि शासन द्वारा हिंदी को केवल औपचारिकता के लिए राजभाषा का दर्जा न देकर उसके व्यापक प्रचार-प्रसार एवं भारतीय शिक्षण प्रणाली में हिंदी को समानता दिलवाने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। केवल प्रत्येक वर्ष हिंदी समारोह मना लेने

मात्र से हिंदी का विकास नहीं हो सकता, बल्कि सरकार द्वारा मजबूत इच्छाशक्ति दिखाते हुए इसे वास्तविक अर्थों में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। साथ ही, देश के राजनीतिक दलों व जनता को क्षेत्रवाद की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर यह समझना होगा कि एक विशाल देश में अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं की मौजूदगी में एक संपर्क भाषा ही संचार की समस्या का हल कर सकती है। इसलिए 'हिंदी के प्रति संकुचन भाव और केवल क्षेत्रीय भाषा से लगाव' वाली राजनीति से बाहर निकलना होगा तभी हिंदी को उसका खोया हुआ सम्मान प्राप्त हो सकेगा। अन्यथा यदि शासन, राजनीतिक दलों व बुद्धिजीवियों का हिंदी के प्रति ऐसा ही रवैया आगे भी चलता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी भी संस्कृत की तरह ही विलुप्त हो जाएगी और भविष्य में हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में सिर्फ किताबों में इतिहासमात्र बनकर रह जाएगी।

***

कर्मचारी हो आप एक दफ्तर में।

डॉ रश्मि मित्तल,
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक

कर्मचारी हो आप एक दफ्तर में,

धरोहर हो पहचान हो शान हो।

मत बहाने दो अपने विचारों को मिथ्या वर्चस्व रूपी रस में,

क्योंकि कर्मचारी हो आप एक दफ्तर में।।

बना दिए जाते हो तुम शिकार जबरन वर्चस्व दिखने वाले शिकंजों का,

उनकी मनोरंजन की थाली मे परोस दिए जाते हो,

और तुम भी भूख मिटाना सीख लेते हो झूठी बुनियादी भोजन से,

क्योंकि कार्यरत हो एक माहौल में।।

माना की आज है पर कल क्या किसने देखा है,

सोना भी अलंकृत होने से पहले तपता और खिंचता हैI

पर ये क्या वही महात्मा हैं जो खुद ऐसे अग्निपरीक्षा से गुजारें हैं,

या वह तुममे से एक है, जो अपनी काल्पनिक लौ के सहारे तुम्हें,

अपनी झूठी शान का रसपान करवाता है, बातों बातों मे वर्चस्व दिखाता है,

उलझता है, अपनी स्वाभाविक पहेलियाँ सुलझाने में।

ईर्ष्या और द्वेष से वह शराबोर है, एक दफ्तर में।।

उनकी मनोरंग तुम्हारी तेज को कम नहीं करती,

बल्कि उसके अस्थायी गुरूर का परिचय करवाती है।

जो स्वयं को श्रेष्ठ ज्ञानी और अमृतवानी सीधा करने मे लगा है।।

वक्त उन्हे भी तांडव करवाती है उनके मनोरंग की रंगमंच में,

और वे भी तीव्र गोतें लगातें हैं, अपने विचारों की तरंगों में,

क्योंकि कार्यरत हैं वह एक दफ्तर में।।

कुछ और भी नियति है, जो अंजान बन दर्द दे जाती है,

यहाँ भी आप सहजता और शुभमता का परिचय देते हो।

और उसकी विवशता पर अपनी वाणी को पूर्ण विराम देते हो,

क्योंकि कार्यरत हो आप एक विभाग में।।

वो समय ही तो है जो नियति रचित हर एक अध्याय को,

जीवन पाठ समझाता है और हर एक तात्कालिक अड़चनों को।

सहर्ष स्वीकारने और अपनाने की गुज़ारिश करता है,

यहाँ भी आप अपनी गति को विश्राम देते हो।।

क्योंकि कार्यरत हो आप एक दफ्तर में .....।।।।

***

विधि (कानून) की व्याख्या

अवधेश तिवारी,

सहायक निदेशक (राजभाषा

विधि (कानून) से हमारा प्रत्यक्षत: कोई जुड़ाव हो अथवा नहीं, विधि प्रत्येक व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालती है। अपने दैनिक जीवन के कामकाज के साथ-साथ अपने सरकारी कामकाज के क्रम में हमारा साक्षात्कार विधियों के विभिन्न रूपों यथा अधिनियमों, नियमों और आदेशों आदि से होता है। यद्यपि विधि की व्याख्या न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाली विषय-वस्तु है किन्तु अधिनियमों, नियमों आदि के अनुपालन किए जाने के क्रम में संबंधित व्यक्ति और कार्यपालक प्राधिकारियों के द्वारा भी इनका अर्थान्वयन (construction) किया जाता है।

अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जबकि एक ही नियम अथवा आदेश की व्याख्या/अर्थान्वयन (interpretation/construction) अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग रूप में करते हैं। विभिन्न प्रशासनिक एवं लेखा संबंधी कार्यों से जुड़े होने के कारण कार्मिकों को विभिन्न नियमों और आदेशों का अध्ययन करना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रकरण विशेष में उस विषय से संबंधित विधियों का पालन किया गया है अथवा नहीं। कई बार कार्यपालक प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध न्यायालयों में वाद भी दायर होते हैं और उस समय न्यायालय इस बात की परख करता है कि संबंधित प्राधिकारी के द्वारा लिया गया निर्णय विधि-सम्मत है अथवा नहीं। प्राधिकारियों के द्वारा लिए गए निर्णय की विधि-सम्मतता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि मामले से संबंधित नियमों और कानूनों का वही अर्थान्वयन किया गया है जो कि विधि का मूल आशय (intent) था। अत: इस कारण व्याख्या के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी होनी आवश्यक हो जाती है।

विधि की व्याख्या के संदर्भ में यह प्रचलित उक्ति है कि निर्वचन (व्याख्या) के नियम मूर्तिकार के उपकरण के समान हैं। इनका मूल्य अधिकतर इस बात पर निर्भर करता है कि इन्हें किस सावधानी और निपुणता से प्रयोग में लाया जाता है। विधि की व्याख्या के विस्तृत नियमों और सिद्धांतों में से व्याख्या के कुछ महत्त्वपूर्ण नियम और सिद्धान्त इस प्रकार हैं:-

स्वर्णिम नियम (Golden Rule)

इस नियम के अंतर्गत यह माना जाता है कि विधि निर्माता का आशय विधि में उसके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों के स्वाभाविक अभिप्राय में निहित है। अत: विधि में प्रयुक्त शब्दों के स्वाभाविक अभिप्राय को आत्मसात करना चाहिए।

दांडिक विधि की व्याख्या (Interpretation of punitive law):

दांडिक विधि की कठोर व्याख्या अपेक्षित होती है। किन्तु दांडिक विधियों की व्याख्या करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब तक किसी कानून की भाषा किसी कार्य को स्पष्ट रूप से अपराध नहीं कहती है, तब तक उस कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। यदि किसी कार्य को किए जाने अथवा किसी कार्य को न किए जाने (कार्यालोप) को अपराध माना गया है, किन्तु उसके संदर्भ में विधि में प्रयुक्त शब्दों में संदिग्धता हो और उन शब्दों से ऐसा प्रतीत हो कि वह कार्य या कार्यालोप उस कानून की भाषा के अंतर्गत अपराध हो भी सकता है और नहीं भी, तो ऐसी संदिग्धता को अभियुक्त के पक्ष में निर्णीत किया जाना अपेक्षित होता है। अन्य दांडिक विधियों के समान ही कर संबंधी विधियों (taxation law) का भी कठोर अर्थान्वयन किया जाना अपेक्षित होता है। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि में यह तर्क दिया जाता है कि कर का अधिरोपण दंड के अधिरोपण के समान है। इसे तभी अधिरोपित किया जा सकता है जबकि विधि की भाषा स्पष्ट रूप से ऐसा निदेश दे। यदि किसी दांडिक विधि या कर कानून की भाषा स्पष्ट हो, तो उसके परिणाम की परवाह न करते हुए उसे लागू किया जाना चाहिए।

हितकारी विधि की व्याख्या (Interpretation of beneficial law):

यदि किसी विधि का साधारण उद्देश्य किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को लाभ प्रदान करना है, किन्तु उस विधि में कोई उपबंध अस्पष्ट है और उसके दो अर्थ निकलते हों। इनमें से एक अर्थ यदि उस वर्ग के

व्यक्तियों के हितों का पोषण करता हो और दूसरा अर्थ उस वर्ग के हितों के प्रतिकूल हो, तो वही अर्थ सही माना जाता है जो कि उस वर्ग के हितों का पोषण करता हो। इस बात को इस उदाहरण से भली प्रकार से समझा जा सकता है कि विभिन्न नियोक्ताओं (employers) के द्वारा अपने कर्मचारियों को चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाती है। कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधा को कर्मचारी वर्ग के हितों के पोषक के रूप में माना जाता है। अत: माननीय न्यायालयों ने इसकी व्याख्या करते समय उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया है तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित प्राण रक्षा के अधिकार के रूप में भी व्याख्यित किया है।

समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन (Harmonious Construction):

जब किसी विधि के एक से अधिक उपबंध एक-दूसरे के विरुद्ध हों, तो उनकी व्याख्या/अर्थान्वयन करते समय यह प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि सभी उपबंधों में सामंजस्य बना रहे और कोई भी उपबंध प्रभावहीन या निरर्थक न हो जाए। यह तभी संभव है जबकि ऐसे विरोधपूर्ण प्रतीत होने वाले उपबंधों को या तो अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित माना जाए या फिर यह माना जाए कि एक उपबंध दूसरे उपबंध के अंतर्गत दिए गए साधारण नियम का अपवाद है।

***

हिन्द की बेटी : हिंदी

डॉ. पूर्णिमा शर्मा,
शोध सहयोगी-3

ना जाने क्यूँ हिंदी से अपनी लड़ाई हो गई,

कि हिन्द की बेटी अब पराई हो गई।

कुछ यूं ढलते जा रहे हैं हम पश्चिमी सभ्यता में,

और भूलते जा रहे हैं अपनी ही संस्कृति को,

कि अंग्रेजी भाषा अब अपनी सी हो गई है,

और हिन्द की बेटी अब पराई हो गई है।।

माँ को अब 'मॉम' भाने लगा है,

पिता जी को भी 'डैड' रास आने लगा है।

मॉम-डैड ने ही भावनाओं को मार दिया है,

कि बूढ़े माँ-बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया है।।

भाई का क्या कहना है, अब तो उन्हें 'ब्रो' ही कहलवाना है।

बहना भी कहां पीछे रहती, 'सिस'

कहने पे ही उनकी नाक ऊंची होती है।

अच्छे भले इंसान को आज 'ड्यूड' बना दिया है, कि मरने से पहले ही मार दिया है।।

प्रणाम-नमस्कार तो अब जुरासिक काल के हो गए हैं,

अब संस्कार तो सिर्फ 'हैलो-हाय' के हो गए हैं।

ना जाने कब से हम इतने मॉडर्न हो गए हैं,

कि अपनी ही मातृभाषा से विमुख हो गए हैं।।

शान-सी घटती है हिंदी बोलने में अब, जैसे फैशन कम लगता है माथे पे बिंदी लगने पर अब। मन विचलित-सा होता है हिंदी की यह दुर्दशा देख के,

शरम-सी आती है खुद को हिंदुस्तानी बोलने में अब।।

अभी भी वक्त है चलिए जाग जाएं हम,

हिंदी से ही हिंदुस्तानी है ये मान जाएं हम।

मातृभूमि पर मरने मिटने की शक्ति देती है हिंदी,

सभ्यता संस्कृति को बल देती है हिंदी।।

कुछ इस तरह से सजाएं हिन्द की बेटी को हम,

कि कभी अपनों के बीच पराई न हो हिन्द की बेटी अब।

***

पगडंडियाँ

कमल कुमार,
वैज्ञानिक ई

पगडंडियाँ जो गांव से शहर तक जाती हैं,

अनगिनत कहानियां अपने साथ ले जाती हैं,

कुछ कहानियां पगडंडियों के साथ रुक जाती हैं,

तो कुछ मीलों साथ साथ चलती जाती हैं,

पगडंडियों की धूल के साथ साथउड़ते जातें हैं

गांव के लोगों के ख्वाब कुछ मिट जाते हैं,

कुछ मिल जाते हैं, कुछ उड़ जाते हैं,

कुछ चलते रहते हैं,

अनवरत कहानियां पगडंडियों के साथ साथ...

अक्सर पगडंडीयां समाए रखती हैं कभी सुखद कहानियां,

तो कभी दुखद कहानियां कभी प्रेम भरी निशानियां,

तो कभी यादगार कहानियां...त्याग,

समर्पण और प्रेम डगर सिखाती जाती हैं,

पगडंडियाँ जैसे कहती हो मत भूलना बुनियादों को,

जिन पर चलकर मंजिल पाई है,

हम हैं वहीं, थे हम जहां, रहेंगे वहीं बस गर्व होता है,

राही को मंजिल पर पहुंचाकर...

सही पगडंडियों को चुन कर चले तो,

उजालों की मंजिल वरना अंधेरे के गड्ढे,

औद्योगिक, सामाजिक, राजनैतिक या साहित्यिक,

कई क्रांतियों को आधार देती हैं पगडंडियाँ...

पैदल यात्रा से बैलगाड़ियों के परिवर्तन तक,

मोटरों के रास्ते हवाई जहाज की क्रांति तक,

वक्त के साथ बदलती रहती हैं पगडंडियाँ,

सबको एक साथ जोड़ गांठकर अक्सर,

परिवर्तनों को साकार करती हैं पगडंडियाँ...

कुछ इतिहास समेटे हुए साथ चलती हैं

तो कुछ अंधेरे से उजाले को ले जाती हैं,

वक्त के साथ बनती बिगड़ती हैं पगडंडियाँ

सबको आगे बढ़ाते हुए खड़ी देखती रहती हैं ये पगडंडियाँ...।

***

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance-AMR) और पर्यावरण

राज नारायण पंकज
वैज्ञानिक ई

परिचय

रोगाणुरोधी (Antimicrobials) – एंटीबायोटिक्स (Antibiotics), एंटीवायरल (Antiviral), एंटीफंगल (Antifungus) और एंटीपैरासिटिक्स (Antiparacitics) सहित - ऐसी दवाईयां हैं जिनका उपयोग मनुष्यों, जानवरों और पौधों में संक्रामक रोगों को रोकने और उनका उपचार करने के लिए किया जाता है।
रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी रोगाणुरोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। दवा प्रतिरोध के परिणामस्वरूप, एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुरोधी दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं और संक्रमण का उपचार करना मुश्किल या असंभव हो जाता है, जिससे बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी, विकलांगता और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, दवा-प्रतिरोधी संक्रमण जानवरों और पौधों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, खेतों में उत्पादकता कम करते हैं और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।

रोगाणुरोधी दवाईयां आधुनिक चिकित्सा की आधारशिला हैं। दवा-प्रतिरोधी रोगजनकों के उद्भव और प्रसार से आम संक्रमणों का उपचार करने, कैंसर कीमोथेरेपी, अंग प्रत्यारोपण, सर्जरी जैसी जीवन-रक्षक प्रक्रियाएं निष्पादित करने की हमारी क्षमता को खतरा है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध सभी देशों के लिए और सभी आय स्तरों के लिए एक गंभीर समस्या है। इसका प्रसार देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। इसके प्रसार में योगदान देने वाले कारकों में मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और खेतों में अपर्याप्त संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण और किफायती टीकों, निदानों और दवाओं का अभाव; जागरूकता और ज्ञान की कमी; और प्रासंगिक कानून के प्रवर्तन की कमी शामिल हैं। कम संसाधन वाले लोग, AMR के परिणामों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विभिन्न स्रोत और पर्यावरण में योगदान करने वाले कारक

रोगाणुरोधक की अनियमित आपूर्ति रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाते हैं। रोगाणुरोधी दवाओं का मनुष्यों, जानवरों और कृषि में अनुचित उपयोग और अति प्रयोग, दवा प्रतिरोधी रोगजनकों के विकास के मुख्य कारक हैं । मनुष्यों और जानवरों से होने वाला अपशिष्ट भी रोगाणुरोधी प्रतिरोध के उद्भव और प्रसार का एक मार्ग है। इसके अलावा इसमें दवा निर्माण स्थलों के आस-पास के प्रदूषण शामिल हैं, जहाँ अनुपचारित अपशिष्ट से अधिक मात्रा में सक्रिय रोगाणुरोधी वातावरण में फैल जाते हैं।

एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग का एक हिस्सा बड़े उत्पादकों/कंपनियों के व्यावसायिक हितों और छोटे उत्पादकों/किसानों के बीच जागरूकता की कमी को माना जा सकता है। ऐसे अधिकांश दुरुपयोग को विभिन्न उपायों जैसे कि जागरूकता, टीकाकरण, विकल्प, जैव सुरक्षा, उचित आवास और पालन-पोषण स्थितियाँ, बेहतर निगरानी, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, समय पर और उचित निदान, और प्रशिक्षित विशेषज्ञ के अधीन उपचार आदि से टाला जा सकता है।

एंटीबायोटिक अवशेष निम्नलिखित तीन में से किसी एक के माध्यम से पर्यावरण में अपना रास्ता खोज सकते हैं:

- फार्मास्युटिकल विनिर्माण से अपशिष्ट जल का निर्वहन:
  यद्यपि अपशिष्ट जल का उपचार फार्मास्यूटिकल्स को आंशिक रूप से समाप्त या हटा सकता है फिर भी अपशिष्टों और सतह/भूजल में उनके कुछ निशान का पता लगाया जा सकता है। यह अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया के प्रवेश द्वार पर एंटीबायोटिक्स की सांद्रता पर और अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया की दक्षता निर्भर करता है। प्रवाह में एंटीबायोटिक अवशेषों की रिहाई को कम करने के लिए प्रक्रिया नियंत्रण, 'एंड-ऑफ-पाइप' तकनीक को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखा जाता है।
- मानव और पशु उपभोग और उत्सर्जन:
  साहित्य में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मौखिक रूप से ली जाने वाली खुराक का 30-90% दवाएँ उत्सर्जित होती हैं। जलीय कृषि/पोल्ट्री फार्म, पशुपालन आदि में एंटीबायोटिक्स का उपयोग इस संबंध में अतिरिक्त खतरा पैदा कर रहे हैं।

- निर्धारित अवधि समाप्त हुई और/या अप्रयुक्त दवाओं का गैर-वैज्ञानिक निपटान।
  पर्यावरण में एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसी एक स्रोत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एंटीबायोटिक का उत्सर्जन या तो आकस्मिक रूप से या कुशल अपशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकियों की कमी के कारण होता है। प्रक्रिया की अक्षमताओं ने फार्मा उद्योगों को एंटीबायोटिक प्रतिरोध के मुद्दे के समाधान के लिए शुरुआती बिंदु बना दिया है। उपरोक्त के अलावा, अपशिष्टों में एंटीबायोटिक अवशेषों के अन्य कारकों में शामिल हैं:

    - फार्मा उद्योगों द्वारा प्रत्यक्ष उत्सर्जन अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों की तुलना में बहुत अधिक सांद्रता में निर्वहन का स्रोत माना जाता है।
    - चूँकि एंटीबायोटिक अवशेष जो सीधे फार्मा अपशिष्टों में छोड़े जाते हैं का सेवन नहीं किया जाता हैऔर इसलिए अन्य स्रोतों की तरह चयापचय नहीं किया जाता है और इसलिए सांद्रता में कमी उस अनुपात में प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा, सिद्धांत रूप में, कोई भी यौगिक जो आसानी से अवक्रमित/चयापचयित नहीं होता है, पर्यावरण में प्रतिकूल जोखिम सांद्रता तक पहुँचने की क्षमता है।
    - संभावना यह नहीं है कि फार्मा उद्योग जानबूझकर अपने अंतिम उत्पाद एंटीबायोटिक अवशेषों का निर्वहन करेंगे। लेकिन साथ ही, यदि दुर्घटनावश या प्रवाह उपचार प्रक्रिया के कार्य में अकुशलता के कारण निर्वहन किया जाए, तब इसकी सांद्रता अन्य स्रोतों से तुलना हमेशा कई गुना अधिक हो सकती है।

उनके अप्रत्यक्ष निर्वहन के अलावा, रोगाणुरोधी का उपयोग जलीय कृषि में भी किया जाता है जहां आम तौर पर इन-फ़ीड तैयारियों के रूप में उपयोग किया जाता है। अंततः रोगाणुरोधी पर्यावरण के कई हिस्सों जैसे नदियाँ, झीलें और मिट्टी तक पहुंच सकते हैं जहां वे अपना प्रभाव प्रयास जारी रख सकते हैं। पर्यावरण में, कुछ एंटीबायोटिक्स मिट्टी और तलछट से मजबूती से जुड़ जाते हैं जो उनकी दृढ़ता में योगदान देता है और अवनति के पहुंच के बाहर हो जाता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का पक्ष

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को वैश्विक स्वास्थ्य के लिये शीर्ष दस खतरों में से एक के रूप में पहचाना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुशंसा की है कि देशों को वित्तपोषण और क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ाने के लिये अपनी राष्ट्रीय कार्ययोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये, मज़बूत नियामक प्रणाली स्थापित करनी चाहिये तथा मनुष्यों, जानवरों एवं पौधों के स्वास्थ्य में पेशेवरों द्वारा एंटीमाइक्रोबियल के उत्तरदायी एवं विवेकपूर्ण उपयोग के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का समर्थन करना चाहिये।
- साथ ही WHO ने ऐसे कई उपाय सुझाए हैं जो प्रभाव को कम करने और इस प्रतिरोध के प्रसार को सीमित करने के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किये जा सकते हैं।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) राष्ट्रीय कार्य विश्वव्यापी योजनाएँ

नवंबर 2023 तक, 178 देशों ने Global Antimicrobial Resistance (GAP) के अनुरूप रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ विकसित की थीं। निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, देशों को एक कार्यशील बहुक्षेत्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) शासन तंत्र स्थापित करने, गतिविधियों को प्राथमिकता देने, एक लागत वाली परिचालन योजना विकसित करने, संसाधन जुटाने (घरेलू और बाहरी दोनों) और अपनी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। प्रगति पर नज़र रखने, चुनौतियों की पहचान करने और समय-समय पर रिपोर्ट करने के लिए निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वयन में प्रगति को विश्व स्तर पर ट्रैक करने के लिए, **विभिन्न** देशों ने बहुक्षेत्रीय वार्षिक ट्रैकिंग AMR Country सेल्फ-असेसमेंट सर्वे (TRACSS) को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

रोगाणुरोधी प्रबंधन और (एक्सेस, वॉच, रिजर्व) AWaRe

रोगाणुरोधी स्टीवर्डशिप स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को रोगाणुरोधी दवाओं को निर्धारित करने और प्रशासित करने के लिए साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए शिक्षित और समर्थन करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। WHO देशों को रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग को अनुकूलित करने, रोगी के परिणामों में सुधार करने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमणों को कम करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी हस्तक्षेपों में से एक के रूप में रोगाणुरोधी प्रबंधन कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए मार्गदर्शन करता है।

उचित उपचार और एंटीबायोटिक दवाओं के अनुचित उपयोग को कम करने के लिए, WHO ने एंटीबायोटिक दवाओं का AWaRe (एक्सेस, वॉच, रिजर्व) वर्गीकरण विकसित किया।

एकल स्वास्थ्य दृष्टिकोण (One Health Approach) की भूमिका:

एंटीबायोटिक्स तेजी से अप्रभावी होते जा रहे हैं क्योंकि दवा-प्रतिरोध विश्व स्तर पर फैल रहा है जिससे संक्रमण और मृत्यु का उपचार करना अधिक कठिन हो गया है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध की समस्या को UNGA, G7 से लेकर G-20 जैसा कई उच्च-स्तरीय मंचों पर वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के तौर पर उजागर किया गया है।

भारतीय अध्यक्षता के तहत, जी-20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में रोगाणुरोधी प्रतिरोध को प्राथमिकता से निपटने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाने पर ज़ोर दिया गया है।

एकल स्वास्थ्य एक एकीकृत, एकीकृत दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य लोगों, जानवरों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए इष्टतम और स्थायी स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करना है। यह मानता है कि मनुष्यों, घरेलू और जंगली जानवरों, पौधों और व्यापक पर्यावरण का स्वास्थ्य निकटता से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर निर्भर है। वन हेल्थ दृष्टिकोण, रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने और नियंत्रित करने के लिए तथा बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों, नीतियों, कानून और अनुसंधान के डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी में संवाद करने में और एक साथ काम करने के लिए संबंधित क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाता है।

भारत की राष्ट्रीय कार्रवाई रोगाणुरोधी प्रतिरोध कार्ययोजना (NAP- AMR) और 12 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा समर्थित **AMR** दिल्ली घोषणा-2017, भारत सरकार की वन हेल्थ दृष्टिकोण का उपयोग करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को संबोधित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की समाधान हेतु किये गए उपाय:

- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम:** इसे वर्ष **2012** में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं की स्थापना करके **AMR** निगरानी नेटवर्क को मज़बूत किया गया है।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAP):** यह स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर केंद्रित है और अप्रैल **2017** में विभिन्न हितधारक मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। रोगाणुरोधी प्रतिरोध (**AMR)** पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना की रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं **- 1)** जागरूकता और समझ**, 2)** प्रयोगशालाएं और निगरानी**, 3)** संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण**, 4)** रोगाणुरोधी के उपयोग को अनुकूलित करना**, 5)** अनुसंधान और नवाचार**,** और **6)** सहयोग।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क :** इसे वर्ष **2013** में लॉन्च किया गया था ताकि देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के सबूत और प्रवृत्तियों तथा पैटर्न का अनुसरण किया जा सके।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद **(ICMR)** ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध (**AMR)** में चिकित्सा अनुसंधान को मज़बूत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाओं को विकसित करने की पहल की है।

- **एंटीबायोटिक प्रबंधन कार्यक्रम: ICMR** ने अस्पताल के वार्डों और आईसीयू में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग तथा अति प्रयोग को नियंत्रित करने के लिये भारत में एक पायलट परियोजना पर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम शुरू किया है। Drug Controller General of India **(DCGI)** ने अनुपयुक्त पाए गए कई फिक्स डोज़ कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के लिये एकीकृत स्वास्थ्य निगरानी नेटवर्क:** एकीकृत रोगाणुरोधी प्रतिरोध (**AMR)** निगरानी नेटवर्क में हिस्सा लेने के लिये भारतीय पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं की तैयारी का आकलन करना। **ICMR** ने जानवरों और मनुष्यों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध पैटर्न की तुलना के लिये एक पशु चिकित्सा मानक संचालन प्रक्रिया **(Vet-SOPs)** भी विकसित की है।

फार्मास्युटिकल विनिर्माण से अपशिष्ट जल (Waste Water) और Expired antimicrobial/antibiotics के उपचार के लिये मौजूदा प्रावधान:

- रासायनिक और जैविक अवशिष्ट या किसी भी अवशेष, अस्वीकार, अपशिष्ट जल उपचार या उद्योग में इसके प्रबंधन सुविधा या थोक दवा के निर्माण या फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण में लगे उद्योगों को आपूर्ति करने वाले सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) से उत्पन्न सांद्रता को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार परिवहन) नियम, 2016 में खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- अपशिष्ट स्रोतों से एंटीबायोटिक अवशेषों को कम करने के लिए, उद्योग उपचारित अपशिष्टों को अधिकतम सीमा तक कम करने, पुनर्चक्रित करने और पुन: उपयोग (reduce, recycle and reuse) या शून्य तरल निर्वहन (ZLD) को अपना रहा है।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB), सदस्य उद्योगों की जरूरतों और निर्वहन क्षमता के अनुसार, फार्मास्युटिकल विनिर्माण से अपशिष्ट जल के लिये अतिरिक्त प्रासंगिक पैरामीटर निर्धारित करेंगे और प्राप्त पर्यावरण स्थितियों पर विचार करते हुए निगरानी की आवृत्ति निर्दिष्ट करेंगे।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के प्रधान कार्यालय में ट्रेस ऑर्गेनिक्स प्रयोगशाला (TOC Lab.) में LC/MS/MS (USEPA विधि 1694) का उपयोग करके 21 फार्मास्युटिकल यौगिकों के लिए विश्लेषणात्मक क्षमताएं हैं।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "API अवशेषों के लिए निगरानी तंत्र पर दिशानिर्देश" का 31/01/2022 को जारी होना।
- जैव रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार निर्माता या आपूर्तिकर्ता द्वारा निधारित अवधि समाप्त हो चुके रोगाणुरोधी/एंटीबायोटिक दवाओं को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है और अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) से निकलने वाले अवशिष्ट को जलाने/ निपटान के लिए कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज़ल सुविधाओं (CBWTF) या सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं (CHWTSDF) को भेजा जाता है।

निष्कर्ष

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) एक जटिल समस्या है जिसके लिए मानव स्वास्थ्य, खाद्य उत्पादन, पशु और पर्यावरण क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट कार्यों और इन क्षेत्रों में एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मनुष्यों, घरेलू और जंगली जानवरों, पौधों और व्यापक पर्यावरण का स्वास्थ्य निकटता से जुड़ा है और एक

दूसरे पर निर्भर है। अतः रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य दृष्टिकोण को अपनाना होगा। बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों, नीतियों, कानून और अनुसंधान के डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी में संवाद करने और एक साथ काम करने होंगे। हमें रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग को अनुकूलित करने, रोगी के परिणामों में सुधार करने और AMR और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमणों को कम करने के लिए रोगाणुरोधी स्टीवर्डशिप (AMR Stewardship) को अपनाना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**) द्वारा विकसित एंटीबायोटिक दवाओं का AWaRe (एक्सेस, वॉच, रिजर्व) वर्गीकरण का उपयोग उचित उपचार तक पहुंच में सुधार और एंटीबायोटिक दवाओं के अनुचित उपयोग को कम करने के लिए किया जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए उपायों का रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रभावों को कम करने और इस प्रतिरोध के प्रसार को सीमित करने के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किया जाना चाहिए।

***

कंक्रीट के जंगल में

डॉ. सी.के. दीक्षित
वैज्ञानिक 'ग'

तुम भी खोए हम भी खोए..... कंक्रीट के जंगल में,

कैसे नैना स्वप्न संजोए .....कंक्रीट के जंगल में।

पेड़ काटकर छाँव ढूंढते,

खोया अपना गाँव ढूंढते,

भूले पनघट भूले पीपल,

वर्तमान में बस कोलाहल,

बीती यादें पलक भिगोएं ..... कंक्रीट के जंगल में,

तुम भी खोए हम भी खोए.....कंक्रीट के जंगल में।

सुखी राह से सूखी राह तक,

उस मस्ती से एक आह तक,

सूने पथ पर चलते चलते,

गर्म धूप में जलते जलते,

तुम भी रोए हम भी रोए कंक्रीट के जंगल में,

कैसे नैना स्वप्न संजोए .....कंक्रीट के जंगल में।

बचपन में तारों को गिनना,

माँ से वो लोरी का सुनना,

क्यूँ हम आज गलत हो बैठे,

चाँद दिखे वो छत खो बैठे,

तुम भी सोए हम भी सोए ..... कंक्रीट के जंगल में,

कैसे नैना स्वप्न संजोए .....कंक्रीट के जंगल में।

भीड़ बहुत पर सूनापन है,

बंटा-बंटा सा हर आंगन है,

रिश्तों से मिठास खो बैठे,

कोई बात ख़ास खो बैठे,

काट रहे हैं पेड़ जो बोए.... कंक्रीट के जंगल में,

तुम भी खोए हम भी खोए..... कंक्रीट के जंगल में,

कैसे नैना स्वप्न संजोए .....कंक्रीट के जंगल में।

***

प्रकृति के अंचल में

हरिश्चन्द्र मौर्य,
आशुलिपिक ग्रेड-I

बात उन दिनों की है जब मुझे उत्तराखंड घूमें पूरा एक साल होने वाला था, परंतु मेरे मन में उत्तराखंड के लिए एक जगह-सी बन गई थी, जो मुझे बार-बार वहाँ जाने के लिए उत्साहित कर रही थी। मैंने कई बार लखनऊ के दोस्तों से चलने के लिए कहा पर वो जाने को तैयार ही नहीं होते थे, लेकिन न जाने कैसे इस बार सबने चलने के लिए हाँ कर दी। खैर छोड़िए...। फिर क्या था मैं, नीरज और शिवम 09 अगस्त की शाम की ट्रेन (हावड़ा-देहरादून) से चल दिए उत्तराखण्ड की उन हसीन वादियों को अपनी यादों के पन्नों में एक और अध्याय जोड़ने के लिए और इस अध्याय को हम 06 (शिवम, नीरज, शुभम, तिवारी जी, मैं और देवेंद्र) लोग पूरा करने वाले थे जिसमें से शिवम, नीरज, देवेंद्र मेरे लखनऊ में कोचिंग के दोस्त थे। शुभम और तिवारी भाई जिनसे मैं पहली बार मिल रहा था वो शुभम और नीरज के कोचिंग के दोस्त थे। शुभम और तिवारी भाई हमें बरेली जं. से ज्वाइन करने वाले थे। जब उनसे बरेली जं. पर मुलाकात हुई, तो उस समय बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि जैसे हम पहली बार मिल रहे हों। इसके बाद हमें ज्वाइन करने की बारी थी देवेंद्र की जो कि हमें शाहजहाँपुर से मिलने वाला था। इस तरह से हमारी 06 दोस्तों की घुमक्कड़ टोली तैयार थी उत्तराखंड की हसीन वादियों को अपने दिलों और यादों में संजोने के लिए।

हम सबने आधी रात तक खूब मस्ती की और बातें की पर बातें करते-करते न जाने कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पहले सबका प्लान सीधे देहरादून से मसूरी जाने का था। पर आखिरी वक्त में प्लान बदलकर देहरादून की बज़ाय पहले हरिद्वार घूमने का प्लान बन गया। सबका मन था ऋषिकेश घूमने का, तो हम हरिद्वार में उतर कर स्टेशन के पास ही एक होटल में ठहर गए और फिर होटल से हम

गंगा मईया में उतर गए गोते लगाने। गंगा मईया में डुबकी लगाकर हम जल्दी वहाँ से वापस होटल आ गए, क्यूंकि हमें ऋषिकेश में राम झूला के साथ-साथ लक्ष्मण झूला भी घूमना था। सुबह करीब 11 से

11.30 के बीच हम सब ऋषिकेश के लिए निकल गए। ऋषिकेश पहुँचकर सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर का दर्शन किया और उससे जुड़ी कुछ बातें भी जानी। उसके बाद लक्ष्मण झूला पर काफी देर वक्त बिताने के बाद मस्ती करते हुए लगभग 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित राम झूला की तरफ पैदल ही निकल पड़े।

लक्ष्मण झूला से राम झूला के बीच का रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है इसीलिए रास्ते में बहुत सारे मन-मोहक दृश्य देखकर दिल के साथ-साथ मन भी प्रसन्नचित हो गया। काफी देर पैदल चलते-चलते रास्ते में भूख लगने के कारण हम लोगों ने कुछ हल्का खाने का सोचा और पास में ही एक समोसे की दुकान पर जाकर रुके। समोसा बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण सबने भरपेट समोसे खाए और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पिया। खाने के बाद हमारा कारवां फिर से राम झूला की ओर चल पड़ा। सुबह से लगातार चलने की वजह से सब काफी थक गए थे, तो राम झूला के किनारे ही सबने थोड़ी देर आराम करना मुनासिब समझा। ट्रिप के पहले दिन घूमने के बाद अब बारी थी पार्टी और मस्ती करने की और हमने की भी। हमने लगभग 11 बजे तक पार्टी की फिर उसके बाद सब अपने-अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, क्योंकि अगली सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़कर देहरादून के लिए रवाना होना था।

सुबह हमने देहरादून के लिए ट्रेन पकड़ी। हरिद्वार से दून के बीच का जो रेल का सफर है वह जंगलों के बीच से होकर गुजरने के कारण और भी रोमांचक हो जाता है अगर स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ बहुत खतरा भी है। हम लगभग 11.45 बजे देहरादून पहुँचे। देहरादून पहुँचने के बाद स्टेशन से बाहर निकलकर मसूरी के लिए बस की तलाश में निकल पड़े। कुछ स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि इस समय मसूरी जाने के लिए बस स्टैण्ड से सरकारी बस पकड़कर जाया जा सकता है। इसीलिए हम बस स्टैण्ड की ओर चल पड़े। वहाँ से हमने मसूरी के लिए बस ली। अरे! चौंकिए मत।..... दरअसल हम पहले देहरादून घूमने वाले थे पर समय और मौसम को देखते हुए हमने मसूरी जाना मुनासिब समझा। कुछ दूरी तय करने के बाद जब बस पहाड़ी वादियों में बने टेढ़े-मेढ़े रास्तों से गुजर रही थी, तो कई लोगों की जाने हलख़ में उतर आईं और उनमें-से कुछ हमारे दोस्त भी शामिल थे। इस रोमांचक सफर में बहुत मजा आया।

रास्ते भर प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करते हुए और एक-दूसरे से हास्यास्पद और मनोरंजक प्रश्नोत्तरी करते हुए धीरे-धीरे हम प्रकृति के आगोश में खोने लगे।..... रुकिए! रुकिए! एक बात बताना भूल ही गया..... वो ये कि जब हम बस में चढ़े, तो एक बला की खूबसूरत लड़की अकेली सीट पर बैठी थी जबकि वह सीट उसकी नहीं थी और यह बात हमें भी नहीं पता थी। तब तक हमारे प्रिय मित्र शिवम ने वहाँ बैठने के लिए उससे पूछा, तो उसने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए तहज़ीब़ के साथ बोली- ''जी आप बैठ जाइए, जब कोई आएगा तो देखेंगे।'' हालांकि शिवम वहाँ नहीं बैठा पर थोड़ी देर बाद जिसकी सीट थी वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठने आ गया। धीरे-धीरे रोमांच से भरे इन टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर चलते हुए लगभग 1 बजे के आस-पास हम सब पहाड़ों की रानी अर्थात् 'मसूरी' पहुँच गए, कुछ पता ही नहीं चला समय का। बस ने हमें गाँधी चौक पर उतारा। वहाँ हमने एक होटल में कमरा बुक किया और फ्रेश होने के बाद एक रेस्त्रां में नाश्ता करने पहुँच गए। नाश्ते में हमारे दोस्तों ने कुछ नई चीज़ खाने की ख्वाहिश में एक डिश मंगाई। उस डिश का नाम था - चिली पराठा ।

अब नाम के मुताब़िक कुछ अलग तो मिलना नहीं था तो उसने हरी मिर्च से भरी हुई एक प्लेट में अचार के साथ पराठे दिए जिसे देखकर सब अपनी नादानियों पर हँस रहे थे। पर खाना तो था ही, क्यूंकि भूख भी तो लगी थी इसीलिए देर न लगाते हुए हमने उसमें से जल्दी-जल्दी हरी मिर्च निकालकर उसे रोटी मानते हुए अचार से खाना उचित समझा। खैर ये दर्द झेलने के बाद हम कुछ स्थानीय लोगों की मदद से थोड़ी जानकारी लेकर एक शेयरिंग गाड़ी में बैठे और कैम्प्टी फॉल की तरफ रवाना हुए। लगभग आधे घंटे बाद हम कैम्प्टी फॉल पहुँचे। थोड़ी देर फोटोग्राफी करने के बाद चल पड़े कैम्पटी फॉल में नहाने। बात उन दिनों की है जब मैं पहली बार वर्ष 2018 में देहरादून आया था तो कैम्प्टी फॉल में नहाने का मेरा सपना बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, तो सारी कसर पूरी करने के लिए हमने कमर कस ली।

हम कैम्प्टी फॉल के मुख्य द्वार पर पहुँचे। वहाँ हमने नहाने के लिए किराए पर मिलने वाले कपड़े और फोटो खींचने के लिए एक वॉटरप्रूफ मोबाइल कवर लिया और उसे लेकर हम नीचे कैम्प्टी फॉल में नहाने के लिए चले गए। वहाँ पर क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या आदमी, क्या औरत सब अपनी-अपनी उम्र की बंदिशों को तोड़ते हुए एक आजाद पंक्षी की तरह पानी में अठखेलियाँ कर रहे थे। फिर क्या था हमने न आव देखा न ताव झट से कैम्प्टी फॉल में कूद पड़े। खूब मौज-मस्ती करते हुए लगभग 4 घंटे लगातार नहाए, फोटोग्राफी की या यूँ कहें कि हमने सब कुछ किया। वहाँ से आने का मन तो नहीं कर रहा था पर

बेमन से हमें आना पड़ा। सब मस्ती में इतने चूर थे कि किसी को खबर ही नहीं थी कि शाम होने को आई है और हमें जल्दी से होटल लौटना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वहां से हम वापस गाँधी चौक आ गए। गाँधी चौक पहुँचते ही दिल बाग-बाग हो गया, क्यूंकि यहाँ का मौसम और नजारा दिल चुराने के साथ-साथ सुकून भी देने वाला था। रिमझिम बारिश, हल्की-हल्की-सी ठंडी हवाएँ मानो प्रकृति खुद इस शहर को बड़े लाड़-प्यार से संवारते हुए इसकी सुंदरता में चार चाँद लगा रही थी। मानो पूरी प्रकृति को अपनी गोद में समेटे हुए 'पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी' खुद पर इतरा रही हो या फिर यूँ कहें कि वो हमें ये एहसास करा रही हो कि उसे पहाड़ों की रानी यूँ ही नहीं कहा जाता है। पहाड़ों की खूबसूरती को निहारते हुए कब शाम ढल गई पता ही नहीं चला। हमने बगल के रेस्टोरेंट में डिनर किया और दूसरे दिन कहाँ-कहाँ घूमना है और कैसै-कैसे घूमना है, इसकी योजना बनाने में लग गए। मेरा मानना था कि हमें धनौल्टी जाना चाहिए पर कुछ दोस्तों को उनके ऑफिस से ज्यादा दिन छुट्टी नहीं मिली थी। इस वजह से धनौल्टी का प्लान रद्द करके शाम तक देहरादून घूमने का प्लान बना। अगले दिन सुबह नाश्ता करके मसूरी से सरकारी बस में बैठकर देहरादून वापस घूमने के लिए आ गए। हमने दून रेलवे स्टेशन के पास एक चाय के स्टॉल पर चाय और पेस्ट्री खाई। चाय बहुत ही अच्छी बनी थी जिसकी वजह से सबने फिर से एक-एक कप और चाय पी।

हम लोगों ने एक बार फिर स्थानीय लोगों की मदद से जानकारी इकट्ठा करके दून के मौसम के मिज़ाज के बारे में जाना। दून में हमें गुपचुप पानी, टपकेश्वर मंदिर और सहस्त्रधारा घूमना था, तो कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश ज्यादा होने के कारण सहस्त्रधारा में काफी ज्यादा पानी भर गया है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। पर हमने भी ठाना था कि अब इतनी दूर आए हैं, तो बिना सहस्त्रधारा में नहाए यहाँ से हम जाने वाले नहीं और हमारे जोश के आगे ये सब मुश्किलें बौनी साबित हुईं। पर फिर भी हमें मौसम के मिज़ाज को देखते हुए बारिश और समय दोनों को ध्यान में रखना था। सहस्त्रधारा जाने के लिए हम बस स्टैण्ड के पास से एक ऑटो में बैठकर परेड ग्राउंड की तरफ बढ़े जहाँ से हमें सहस्त्रधारा के लिए बस मिलनी थी। थोड़ी देर बाद हम परेड ग्राउंड पहुँच गए और वहाँ सहस्त्रधारा जाने वाली एक मात्र बस थी, जो कि हमें किस्मत से मिली। परेड ग्राउंड से सहस्त्रधारा के बीच का सफर

भी बहुत मस्ती भरा और रोमांचकारी था। हम आदतन वहाँ के सौंदर्य का दीदार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान एक से बढ़कर एक प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य के दर्शन करने के बाद अचानक सबके मन में एक दर्द भरा सवाल उठा कि "*आज से 19 साल पहले यानी 09 नवंबर, 2000 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का गलत बंटवारा हुआ, क्योंकि हमें भी उत्तराखंड में आना चाहिए था ताकि रोज ऐसे सौंदर्य का दीदार होता रहता.....*"। आप लोग इसे सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि ये लाइन *सिर्फ मस्ती और मनोरंजन* के लिए कही गई है। हम सहस्त्रधारा से करीब 300 मी. पहले उतरे और आगे का सफर हमने पैदल ही तय किया। सहस्त्रधारा पहुँचने के बाद जब हमने देखा कि सहस्त्रधारा में उतना पानी नहीं है जैसा कि रास्ते में स्थानीय लोगों ने बताया था और धीरे-धीरे लोग भी इकट्ठा हो रहे थे तो हम भी थोड़ी देर आराम करके फिर से किराए के कपड़े लेकर नहाने चले गए।

जब मैं एक साल पहले यहाँ आया था, तो सहस्त्रधारा अपने प्राकृतिक रुप में थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि पानी की धारा उबड़-खाबड़ पथरीले रास्तों से होकर लगातार बह रही थी जिससे नहाना एवं उसमें मस्ती करना और भी रोमांचकारी बन जाता था। पर वो कहते हैं न - आस्था और पैसे की चाह में लोग कितनी आसानी से प्रकृति की खूबसूरती को उजाड़कर रख देते हैं - और वही यहाँ भी हुआ था। व्यवसाय के लिए जगह-जगह पर पानी को वॉटर पार्क जैसा बना दिया गया था। दिन-प्रतिदिन सहस्त्रधारा इंसानी लालच के आगे दम तोड़ती जा रही थी। खैर कर भी क्या सकते हैं उसी से उनका जीवन-यापन भी होता है। हम भी बेख़बर होते हुए सहस्त्रधारा रुपी जंगल में विचरण/कोलाहल करने चल पड़े। मैं, नीरज, शुभम और तिवारी भाई थोड़ा ऊपर जाकर सहस्त्रधारा की तेज धारा के साथ नीचे आते फिर ऊपर जाते और फिर नीचे आते। हमें ऐसा करते देख कई और लोग भी आ गए साथ में मस्ती करने लगे। हालांकि ऐसा करते वक्त छोटे-बड़े पत्थरों से कुछ चोटें भी लगती पर वो सबके हौसलों के आगे कुछ भी नहीं थे। लोग रोजमर्रा की जिंदगी को कुछ दिन के लिए पीछे छोड़कर अपने-अपने परिवार के साथ यहाँ वक्त बिताने और कुछ सुकून के पल बिताने यहाँ आए थे। कई लोगों को देखकर 'उम्र महज़ एक संख्या है' वाली कहावत सच होती दिख रही थी। वहाँ पर बहुत सारे उम्रदराज़ लोग थे, जो हमसे भी

ज्यादा मस्ती कर रहे थे। वे भी सारे दुःख-दर्द भुलाकर बच्चों की तरह मस्ती करने में लगे थे, जो आँखों को सुकून देने वाला मनोहर दृश्य था।

सहस्त्रधारा से निकलकर कुछ दूरी पर एक रेस्टोरेंट में हमने मैगी खाई और शाम के प्लान के बारे में भी बात की। चूंकि देहरादून से हमारी ट्रेन रात 8.00 बजे रवाना होनी थी, इसलिए हम वहाँ 4 घंटे बिताने के बाद वापस बस से देहरादून आ गए। सबको भूख लगी थी और थक भी गए थे। स्टेशन के पास ही एक ढाबे में जाकर सबने खाना खाया। खाना काफी स्वादिष्ट था और भूख लगी होने के कारण सबने जीभर के खाया। खाना खाने के बाद हम स्टेशन पर आ गए जहाँ पर ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म नं 4 पर खड़ी थी। सबने अपनी-अपनी सीट ली और थकान की वजह से सबको जल्दी नींद आ गई। सुबह जगकर फिर से वही पुरानी जिंदगी जीने के लिए सब अपने-अपने घर को चल दिए। देवेंद्र सुबह करीब 5 बजे ही शाहजहाँपुर उतर गया था जिसकी वजह से उससे मुलाकात भी नहीं हो पाई। बाकी दो दोस्त शुभम और तिवारी जी बालामऊ स्टेशन पर उतर गए। इसके बाद हम तीनों दोस्तों शिवम, नीरज और मैंने आलमनगर रेलवे स्टेशन पर उतरना मुनासिब समझा। आलमनगर उतरकर रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए नीरज और शिवम एक साथ आरडीएसओ के लिए रवाना हो गए और मैं राजाजीपुरम के लिए।

उत्तराखंड एक खूबसूरत-सी जगह है घूमने के लिए। आप रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा-सा समय निकालकर समय-समय पर ऐसी जगहों पर जरुर घूमने जाएं। यकीन मानिए इन हसीन वादियों की सैर करने के बाद आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे और यह सैर आपके मानस-पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाएगी।

***

कहानी दादा जी की

कुंदन कुमार,

अनुभाग अधिकारी

शाम का समय था। मनोहर के दादा जी नदी किनारे घूमने तथा खेतों की देख-भाल के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि तभी मनोहर विद्यालय से घर वापस आ गया। दादा जी को बाहर जाते हुए देखकर बोला- "दादा जी, आप कहाँ जा रहे हैं?" दादा जी बोले- "बेटा, हम नदी किनारे घूमने जा रहे हैं और साथ-ही-साथ खेतों की देख-भाल भी कर लेंगे।" "दादा जी आज तो मैं भी आपके साथ चलूँगा"- मनोहर बोला। ठीक इसी समय गौशाला से गाय भी रम्भाई। दादा जी बोले- अच्छा ठीक है, तुम भी चलना लेकिन पहले नाश्ता तो कर लो तब तक मैं गाय को चारा दे देता हूँ।

मनोहर नाश्ता करके दादा जी के साथ घूमने चला गया। नदी किनारे घूमते हुए तथा हरे-भरे खेतों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वह रात में खाना खाने के बाद रोज की तरह दादा जी के साथ सोने चला गया। सोने से पहले वह दादा जी से कहानी सुनाने की जिद करने लगा। दादा जी बोले- ठीक है**!** आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। सुनो- लगभग बीस साल पहले की बात है। नदी किनारे वाले अपने खेत में धान की फसल खूब लहलहा रही थी। बगल में अपने ही गाँव के रामलगन भगत का खेत था। उनके खेत में भी धान की फसल लहलहा रही थी। रामलगन भगत और मैं दोनों साथ-साथ खेतों की देख-भाल करने जाते थे तथा धान की लहलहाती फसल देखकर हम दोनों मन-ही-मन काफी प्रसन्न होते थे।

भादो का महीना था। दो दिनों से लगातार बारिस हो रही थी। भादो की घुप्प अंधेरी रात में मूसलाधार बारिस के साथ-साथ जोर-जोर से बादल गरज रहे थे और बिजली की कड़कड़ाहट भी लगातार सुनाई दे रही थी। चारों ओर पानी-ही-पानी दिखाई पड़ रहा था। नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा था। नदी का पानी बाँध के ऊपर से बहने लगा। रात भर लगातार बारिस होते रहने के कारण बाँध की मरम्मत

नहीं हो सकी और रामलगन भगत के खेत के सामने वाली नदी का बाँध टूट गया। धान की सारी फसल बर्बाद हो गई। भगत जी के खेत में तालाब जैसा गड्ढा बन गया और हमारे खेत में रेत भर गई। मैं और

भगतजी बर्बाद फसल को देखकर उदास बैठे रहे। काफी देर बाद भगत जी बोले- महतो जी, अब क्या करेंगे? सारी फसल तो चौपट हो गई। मैंने कहा- भगत जी जो होना था, वो तो हो गया। इस बुरी परिस्थिति में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए और कोई रास्ता ढूँढना चाहिए। परिस्थिति कितनी भी खराब हो, उसमें तरक्की का कोई-न-कोई रास्ता अवश्य होता है। कुछ समय बाद मैंने अपने खेत में शकरकंद, परवल, तरबूज, खरबूज, खीरा तथा ककड़ी की फसल लगाई। फसल की पैदावार इतनी अच्छी हुई कि मुझे इन्हें बेचकर धान की फसल से भी ज्यादा लाभ हुआ। भगत जी सिर्फ सोचते ही रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। एक दिन जब वे खेत पर मिले तो मैंने उनसे कहा- भगत जी, अब देखिए हमारा खेत। भगत जी कुढ़ते हुए बोले- इतराइये मत, अगर आपका खेत तालाब बन जाता न, तब पूछते। भगत जी आप तो बुरा मान गए- मैंने कहा।

कुछ साल बाद फिर से घनघोर बारिस हुई और नदी का बाँध टूट गया। इस बार रामलगन भगत जी के खेत में रेत भर गई तथा हमारे खेत में तालाब बन गया। इस बार मैंने इस तालाबनुमा खेत में सिंघाडे की फसल लगाई तथा किनारे-किनारे हरी सब्जी की फसल लगाई, जिसकी सिंचाई तालाब के पानी से हो गई। साथ-ही-साथ उस तालाबनुमा खेत में ढेर सारी मछलियाँ भी थी। उधर भगत जी ने इस बार शकरकंद, परवल, तरबूज, खरबूज, खीरा तथा ककड़ी की फसल लगाई। इस बार, हम दोनों की फसल बहुत ही अच्छी हुई। एक दिन भगत जी बोले- हरिचरण महतो तुम ठीक ही कहते थे कि परिस्थिति कैसी भी हो हमें घबराना नहीं चाहिए। उस परिस्थिति में भी तरक्की का कोई-न-कोई रास्ता अवश्य होता है।

फिर दादा जी बोले- 'बेटे ये थी हमारी कहानी।' मनोहर बोला- दादा जी, आपकी कहानी तो बहुत ही अच्छी है। दादा जी बोले- बेटे, तुम भी मुश्किल परिस्थिति में कभी हार न मानना। हर मुश्किल घड़ी हमें जिंदगी जीने का एक नया दृष्टिकोण देती है, एक नया रास्ता दिखाती है तथा नया अनुभव देती है। इनसे हमेशा कुछ-न-कुछ सीखने की कोशिश करना, डरकर कभी न भागना नहीं तो ये तुम्हें बार-बार डराएंगी। इनका डटकर मुकाबला करना। हर मुश्किल परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर होती है। इसे

स्वीकार करके ही हम बेहतर बन सकते हैं। 'जी दादा जी। मैं हमेशा इसे याद रखूँगा'- मनोहर बोला। कहानी सुनने के बाद मनोहर सो गया।

***

आया हूँ मैं इस दुनिया में

रामेश्वर वर्मा,
प्रशासनिक अधिकारी

आया हूँ मैं इस दुनिया में,
तुझको कुछ समझाने को।
हे! धरती के मानुष समझ जा,
मेरे इस इशारे को।।

दूषित किया है तुमने मानव,
प्रकृति के उपहारों को।
कल-कल करती बहती नदियों,
और स्वच्छ आकाशों को।।

भूल रहा था मानव तू,
जीवन के संस्कारों को।
ममता, दया, करुणा, वात्सल्य,
प्रेम और सद्भावों को।

अणु-परमाणु बम बनाए, दूर हो गए सद्यवहारों से।
मिटा सको तो मुझे मिटाओ, अपने इन हथियारों से।।
आया हूँ मैं इस दुनिया में, तुमको कुछ समझाने को।
हे! धरती के मानुष समझ जा,
मेरे इस इशारे को।।

***

ओजोन की व्याकुलता

डॉ. अनुपमा बी.एस,
वैज्ञानिक घ

तड़प-तड़पकर ओजोन धरती से ये कहा

छेद ही छेद है मुझमें तुम देखो कई जगह

जीव संकुलन का रक्षा ही किया कसूर क्या है मेरा

इतना बुरा हाल कर दिया पागल लालच इंसान तेरा

तुम्हें बचाने के लिए सूरज से ही लड़ाई किया

पर ओडीएस, सीएफसी, से तूमने मेरे परत को ही काट दिया

कैंसर मोतियाबिंद (Cataract) प्रचंड ताप को दूर भगाया

दूरी स्ट्रेटोस्फीयर में रहकर भी तुम्हारा संरक्षण किया

धरती बोली क्षमा करो तुम, अपनी परत को लौटाऊंगी

मॉन्ट्रियल किगाली साथ में लाकर, जरूर तुम्हें बचाऊंगी

नाच उठे ओजोन, बात है सुनकर धरती का

प्रेम-पूर्वक वादा किया, धरती की पोषण करने का

धरती की रक्षा करने का।।

***

लेखक / लेखिका परिचय

लेखक / लेखिका	फोटो
डॉ. अनूप चतुर्वेदी, वैज्ञानिक 'ग' क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल	
प्रशांत कुमार शर्मा, सहायक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	
डॉ रश्मि मित्तल, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	
श्री अवधेश तिवारी, सहायक निदेशक (राजभाषा) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	
डॉ. पूर्णिमा शर्मा, शोध सहयोगी-3, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	
श्री कमल कुमार, वैज्ञानिक ई क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ	
श्री राज नारायण पंकज, वैज्ञानिक ई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	
डॉ. सी.के. दीक्षित, वैज्ञानिक 'ग' केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	

हरिश्चन्द्र मौर्य, आशुलिपिक ग्रेड-I केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	
कुन्दन कुमार, अनुभाग अधिकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	
रामेश्वर वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	
डॉ अनुपमा बी.एस, वैज्ञानिक ग क्षेत्रीय निदेशालय, बेंगलुरु	

पानी की बचत

ऊर्जा की बचत

ठोस अपशिष्ट को कम करना

टिकाऊ / सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाना

ई-वेस्ट को कम करना

स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना

एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहें

स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध

IN PURSUIT OF CLEAN ENVIRONMENT

CPCB